राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर नीमराना(कोटपूतली–बहरोड़)

पीठासीन अधिकारी :– पंकज बड़गूजर (आर.ए.एस.)

वाद संख्या	रजू दिनांक	प्रार्थना पत्र निर्णय दिनांक
167 / 2023	09.05.2023	24.06.2024

इन्दुबाला बनाम मैसर्स शुभराज इन्द्राडवलपर्स व अन्य।

प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 सपठित धारा 151सी.पी.सी.

उपस्थितिः

1. श्री मकरध्वज शर्मा अधिवक्ता– प्रार्थी / प्रतिवादी।
2. श्री रविन्द्र कुमार सामरिया अधिवक्ता– अप्रार्थी / वादी।

निर्णय दिनांक 24.06.2024

आज यह पात्रवली सुनाये जाने प्रार्थना पत्र आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 सपठित धारा 151सी.पी.सी. पेश हुई। वकील उभयपक्षकारान उपस्थित आए। प्रार्थी / प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र का सारतः रहा कि उक्त राजस्व वाद ख.नं. 323 / 0.54, 325 / 1.16 हैक्टेयर वाके ग्राम कोलीला सांगा के बाबत तकासमा का पेश किया गया है। वादनी द्वारा उक्त प्रस्तुत अनुवानी वाद से पूर्व दिनांक 01.09.2022 को दावा संख्या 357 / 2022 बउनवानी मैसर्स शुभराज इन्फ्राडवलपर्स प्रा0लि0 बनाम इन्दुबाला एंव अन्य बाबत तकासमा ख.नं. 325 / 1.16, 324 / 1.33 481 / 0.59 हैक्टेयर वाके ग्राम कोलीला सांग तह0 नीमराना जिला अलवर बाबत पेश होकर दिनांक 27.07.2023 को कुर्रेकायमी रिपोर्ट प्राप्त हो कर दिनांक 27.07.2023 को अंतिम निर्णय हो चुका है जिसकी वादीया का भली प्रकार जानकारी रही है। धारा 11 व्यवहार प्रकिया संहिता के प्रावधान अनुसार *"पूर्व न्याय(Res Judicata)"* बाबत ख.नं. 325 / 1.16 हैक्टेयर वाके ग्राम कोलीला सांगा तह0 नीमराना होने से हाल राजस्व वाद संख्या 167 / 23 चलने योग्य नही है क्योंकि पूर्व दिनांक 01.09.2022 को दायर वाद 357 / 2022 बउनवानी मैसर्स शुभराज इन्फ्राडवलपर्स प्रा0लि0 बनाम इन्दुबाला एंव अन्य बाबत तकासमा मे ख.नं. 325 / 1.16 हैक्टेयर बाबत तकासमा होकर कुर्रेजात रिपोर्ट के आधार पर दावा निर्णय दिनांक 27.07.2023 को हो चुका है जिसको चुनौती दिये जाने की समय सीमा का भी अवसान हो चुका है जिस कारण उक्त वाद संख्या 357 / 2022 मे पारित निर्णय अंतिम हो चुका है, जिस कारण ख.नं. 325 बाबत पुनः तकासमा चाहे जाने का अनुतोष धारा 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के प्रावधान अनुसार वर्जित है एवं उक्त ख.नं. 325 का संदर्भ मौजूदा राजस्व वाद मे पुनः लिए जाने से राजस्व वाद वादीया आदेश 07 नियम 11 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के उपनियम(घ) के तहत खारिज किये जाने योग्य है अंकित करते हुए उक्त राजस्व वाद संख्या 167 / 02.05.2023 उनवानी इन्दुबाला बनाम मैसर्स शुभराज इन्द्राडवलपर्स प्रा0लि0 एंव अन्य खारिज फरमाये जाने का निवेदन रहा।

ठीक इसी प्रकार प्रार्थी के प्रार्थना पत्र के जिम्मनों को अस्वीकार करते हुए अप्रार्थी / वादी ने अपना जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया जिसके मुताबिक अंकन रहा कि वाद संख्या 357 / 2022 बउनवानी मैसर्स शुभराज इन्फ्राडवलपर्स प्रा0लि0 बनाम इन्दुबाला एंव अन्य की बाबत तकसीम की डिक्री मैसर्स शुभराज इन्फ्राडवलपर्स प्रा0लि0 के मालिक द्वारा बिना वादनी की जानकारी के गलत तामिल करवा कर, न्यायालय श्रीमान के समक्ष पेश कर, वादनी की एकतरफा करवा कर, न्यायालय श्रीमान को मुगालता मे रखते हुए एक तरफा मे दिनांक 27.07.2023 को डिक्री करवाई गई है। जिसकी जानकारी वादनी को होने पर वादनी द्वारा न्यायालय श्रीमान के समक्ष प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 13 जा0दी0 व उसके साथ स्थगन प्रार्थना पत्र पेश किया गया है न्यायालय श्रीमान द्वारा डिक्री दिनांक 27.07.2023 के प्रचलन को स्थगित कर दिया गया है एवं मूल प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 13 जा0दी0 न्यायालय श्रीमान के समक्ष लम्बित है। वादनी द्वारा दावा सही तथ्यों के आधार पर दावा पेश किया गया है लेकिन प्रतिवादी / प्रार्थी द्वारा बिना वजह वादनी को तंग व परेशान करने के लिए यह प्रार्थना पत्र गलत पेश किया है एंव ख.नं. 325 वाके ग्राम कोलीला सांगा के बाबत न्यायालय श्रीमान द्वारा पारित एक तरफा डिक्री दिनांक 27.07.2023 के प्रचलन को न्यायालय श्रीमान द्वारा स्थगित किये जा चुके होने व उक्त डिक्री को पुनः सैटासाईड करने बाबत प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 13 जा0दी0 श्रीमान के समक्ष लम्बित होने की स्थिति मे भी मौजुदा वाद किसी प्रकार से भी आदेश 07 नियम 11 जा0दी0 की परिधि मे नही आता है दावा मे वर्णित सभी खसरा नम्बरान की बाबत मैरिट पर निर्णय निर्णय होने योग्य है। प्रार्थी /प्रतिवादी द्वारा बिना

उपखण्ड अधिकारी नीमराना

वजह प्रकरण को लम्बा करने के लिए प्रार्थना पत्र झूठा पेश किया है जो चलने योग्य नही है अंकित करते हुए जवाब प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रतिवादी द्वारा पेश प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 खारिज फरमाये जाने का निवेदन रहा।

प्रार्थना पत्र के बाबत वकील उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। दौराने बहस वकील प्रार्थी/ प्रतिवादी ने अपने प्रार्थना पत्र के जिम्मनों को दौहराते हुए प्ररतुत वाद मे वर्णित ख.नं. 325 सहित अन्य ख.नम्बरान के बाबत का दावा संख्या 357/2022 उनवानी मैसर्स शुभराज इन्फ्राडवलपर्स प्रा0लि0 बनाम इन्दुबाला एंव अन्य का तकारामा बाबत का वाद दिनांक 27.07.2023 को श्रीमान न्यायालय द्वारा अंतिम निर्णय कर दिये जाने की स्थिति मे धारा 11 व्यवहार प्रकिया संहिता के प्रावधान अनुसार *"पूर्व न्याय(Res Judicata)"* बाबत ख.नं. 325 हाल राजस्व वाद संख्या 167/2023 मे होने के कारण वाद चलने योग्य नही है जिसे आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रकिया संहिता के उपनियम (घ) के तहत खारिज फरमाये जाने का निवेदन किया। ठीक इसी प्रकार वकील अप्रार्थी/ वादी ने प्ररतुत प्रार्थना पत्र के जिम्मनों को अस्वीकार करते हुए अपने जवाब प्रार्थना पत्र को दौहराते हुए अभिकथन किया कि न्यायालय श्रीमान द्वारा पारित एक तरफा डिक्री दिनांक 27.07.2023 के प्रचलन को स्थगित किया जा चुका है और उक्त एक तरफा डिक्री को पुनः सैटासाईड करने बाबत प्रार्थना आदेश 9 नियम 13 जा0दी0 न्यायालय श्रीमान के समक्ष लम्बित है। इसलिए मौजूदा वाद किसी प्रकार से भी आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 की परिधि मे नही आता है दावा मे वर्णित सभी ख.नं. की बावत मेरिट पर निर्णय होने योग्य है एवं प्रार्थी/ प्रतिवादी द्वारा बिना वजह प्रकरण को लम्बा करने के लिए झूठा प्रार्थना पत्र पेश किया गया है जो चलने योग्य नही है,खारिज किये जाने की दस्तदुआ की।

वकील उभयपक्षकारान की प्रार्थना पत्र के बाबत ध्यानपूर्वक बहस सुनी गई तथा पत्रावली व पत्रावली मे प्रस्तुत दस्तावेजात के गहनता से अवलोकन उपरान्त मौजुदा वाद मे वर्णित ख.नं. 325 वाके ग्राम कोलीला सांगा के होने से धारा 11 व्यवहार प्रकिया संहिता के प्रावधान अनुसार *"पूर्व न्याय(Res Judicata)"* की स्थिति मे प्रार्थी/ प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र को यह न्यायालय स्वीकार योग्य पाता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी/ प्रतिवादी के प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 के स्वीकार योग्य पाये जाने की स्थिति मे स्वीकार की जाती है एवं मौजुदा वाद इन्दुबाला बनाम मैसर्स शुभराज इन्द्राडवलपर्स व अन्य को *"पूर्व न्याय (Res Judicata)"* की स्थिति मे पाया जाने पर आदेश 7 नियम 11 व्यवहार प्रकिया संहिता के उपनियम (घ) के तहत वादीया के वाद को खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 24.06.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद हस्ताक्षर न्यायालय मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय सुनाया गया।

24.06.2024

(पंकज बड़गुजर)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी नीमराना
नीमराना (कोटपूतली-बहरोड़)
जिला कोटपूतली–बहरोड(राज0)